कार्यालय नगर पालिक निगम, (बाजार/नजूल) रायपुर (छ.ग.)
फोन.न.:- 2535780, 90, फैक्स :- 0771-2227395
Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

क्र. ..../ बा.वि./न.नि./ 2016 रायपुर, दिनांक ....../05/2016

// निविदा आमंत्रण सूचना //

हाट बाजार समृद्धि का आधार योजनान्तर्गत मोहबा बाजार में निर्मित **14** दुकानों को **30** वर्ष के स्थायी पट्‌टे पर आबंटन हेतु न्यूनतम निर्धारित दर (आफसेट दर) से अधिक राशि के प्रस्ताव की निविदाएं बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित की जाती है। दुकानों का विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नानुसार है :–

क्र.	आरक्षण वर्ग	दुकान क्रमांक	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	आफसेट दर	धरोहर राशि
1	विधवा/परित्यक्ता महिला	01	5.20X3.50	1553217	155321
2	अनारक्षित	02	––"––	1412016	141201
3	अनारक्षित	03	––"––	1412016	141201
4	विकलांग/भू.पू.सै./स्वा.सं.सै.	04	––"––	1553217	155321
5	शिक्षित बेरोजगार	05	––"––	1553217	155321
6	अनारक्षित	06	––"––	1412016	141201
7	महिला	07	––"––	1412016	141201
8	अनुजाति/अनुसूचित जनजाति	08	––"––	1412016	141201
9	अन्य पिछड़ा वर्ग	09	––"––	1412016	141201
10	अनारक्षित	10	––"––	1553217	155321
11	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	––"––	1553217	155321
12	अनुजाति/अनुसूचित जनजाति	12	––"––	1412016	141201
13	अनाराक्षित	13	––"––	1412016	141201
14	अनाराक्षित	14	––"––	1553217	155321

// निविदा आवेदन पत्र का प्रारूप //

हाट बाजार समृद्धि का आधार योजनान्तर्गत मोहबा बाजार में निर्मित दुकानों के आबंटन हेतु

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

निविदादाता का फोटो (स्वयं द्वारा प्रमाणित)

(निविदादाता द्वारा स्वयं भरा जाए)

1. निविदादाता का नाम :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. जन्म तिथि :– ....
4. पत्र व्यवहार का पता :– ....
....
5. दूरभाष तथा मोबाइल नं. :– ....
6. ई–मेल पता (E- mail ID) :– ....
7. स्थायी निवास का पता :– ....
....
....
8. आवेदन के साथ धरोहर राशि जमा करने का विवरण

राशि (अंकों में) रूपये ....
(शब्दों में) रूपये ....
बैंक का नाम ....
बैंक ड्रॉफ्ट का नंबर ....दिनांक ....

9. निविदादाता द्वारा चयनित दुकान एवं प्रस्तावित मूल्य निम्नानुसार है :–

दुकान नं.	**दुकान का आरक्षण वर्ग**	**निविदादाता द्वारा प्रस्तावित मूल्य**	**निविदादाता के हस्ताक्षर**
		(अंकों) में रू. .... (शब्दों में) रू.	

—:: <u>अभिवचन</u> ::—

मैं हाट बाजार समृद्धि का आधार योजनान्तर्गत मोहबा बाजार में दुकानों का आबंटन में उपरोक्त दुकान निविदा में अंकित मूल्य पर 30 वर्ष के स्थायी पट्टे पर लेने के लिए सहमत हूं। इस हेतु मैंने निविदा की समस्त शर्तो को पढ़कर समझ लिया है। निविदा की समस्त नियम एवं शर्ते मुझे मान्य है। मैंने कंड़िका (09) में कुल प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया है।

स्थान :—

दिनांक :— **(निविदादाता का हस्ताक्षर)**

विशेष :— **आवेदन फार्म नगर निगम से जारी नहीं किये जायेंगे, समाचार पत्र एवं वेबसाईट में प्रकाशित प्रारूप में ही निविदाकर्ता आवेदन करेंगे।**

1. निविदा आवेदन पत्र नियम एवं शर्तो का अवलोकन बाजार विभाग नगर पालिक निगम, रायपुर मुख्य कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य डाक घर रायपुर में दिनांक **11.06.2016 तक** जमा किया जा सकता है। मुख्य डाक घर द्वारा उक्त निविदाएं दिनांक **13.06.2016** तक नगर निगम रायपुर को उपलब्ध कराया जावेगा। प्राप्त निविदाएं दिनांक **14.06.2016** को **03.00** बजे मुख्य कार्यालय बाजार विभाग नगर निगम रायपुर में सक्षम अधिकारियों के समक्ष खोली जावेंगी।
2. प्रत्येक दुकान के लिए अलग—अलग निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ जमा करना होगा। जिस नाम से निविदा आवेदन किया जावेगा उस नाम से ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
3. निविदा के लिए निर्धारित की गई धरोहर राशि आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के नाम पर देय बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। बिना धरोहर रााशि के निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
4. मुहरबंद निविदाएं आयुक्त नगर पालिक निगम बाजार विभाग मुख्य कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के नाम से देनी होगी। लिफाफे के ऊपर दुकान क्रमांक एवं दरदाता का पूर्ण पता उल्लेखित होना चाहिए।
5. कोई भी निविदा आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित आफसेट मूल्य से कम राशि का प्रस्ताव होगा स्वीकार नहीं होगा। ऐसी निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
6. आरक्षित वर्ग को आरक्षण से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्यतः निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।
7. निविदा की समस्त शर्ते कार्यालयीन अवधि में बाजार विभाग मुख्य कार्यालय एवं नगर पालिक निगम रायपुर की वेब साईड **WWW. nagarnigamraipur. nic.in** से देखी जा सकती है।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, (बाजार/नजूल) रायपुर (छ.ग.)
फोन.न.:- 2535780, 90, फैक्स :- 0771-2227395
Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

// नियम एवं शर्ते //

विशेष :– आवेदन फार्म नगर निगम से जारी नहीं किये जायेंगे दैनिक समाचार पत्र एवं वेबसाईट में प्रकाशित प्रारूप में ही निविदाकर्ता आवेदन करेंगे।

1. हाट बाजार समृद्धि का आधार योजनान्तर्गत मोहबा बाजार के नगर निगम द्वारा निर्मित कुल–**14** दुकानों को **30** वर्ष के स्थायी पट्टे पर आबंटन हेतु न्यूनतम निर्धारित मूल्य से अधिक राशि का प्रस्ताव मुहरबंद निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।
2. निविदा आवेदन पत्र नियम एवं शर्ते बाजार विभाग मुख्य कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय **10.30 बजे से 5.30** बजे तक अवलोकन किया जा सकता है। एवं नगर निगम का वेब साईड **WWW. nagarnigamraipur. nic.in** से देखी जा सकती है। निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य डाक घर रायपुर में दिनांक **11.06.2016** के कार्यालयीन समय तक जमा किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक **14.06.2016 को शाम 3.00** बजे मुख्य कार्यालय राजस्व शाखा नगर निगम रायपुर में सक्षम अधिकारी के समक्ष खोली जावेंगी।
3. प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ जमा करना होगा। जिस नाम से निविदा जमा किया जावेगा उस नाम से ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
4. निविदा के लिए निर्धारित की गई धरोहर राशि आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के नाम पर देय बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
5. मुहरबंद निविदाएं आयुक्त नगर पालिक निगम राजस्व विभाग मुख्य कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के नाम से देनी होगी।
6. कोई भी निविदा आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम राशि का प्रस्ताव होगा स्वीकार नहीं होगा। ऐसी निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी। निविदाओं की समस्त शर्तो का अवलोकन कार्यालयीन अवधि में बाजार विभाग मुख्य कार्यालय में किया जा सकता है।
7. आरक्षित वर्ग को आरक्षण से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।
8. केवल ऐसे व्यक्तियों को ही निविदा में भाग लेने की पात्रता होगी जो :–
   (अ) भारतीय नागरिक हों
   (ब) फर्म या कंपनी की ओर से प्रस्ताव करने पर फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, भागीदार विलेख तथा अधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
   (स) मानसिक रूप से दीवालिया, विक्षिप्त या पागल न हों।
   (द) नाबालिग न हो।
9. उच्चतम बोली/प्रस्थापना छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम–1956 की धारा 80 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी एवं छ.ग. नगर पालिक अधिनियम एवं अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 1994के स्वीकृति के अधीन होगी।

10. छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम–1956 की धारा 80 के तहत में निगम अधिकारी कोई भी उच्चतम बोली/प्रस्थापना स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

11. निविदादाता को उसकी निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि में समस्त देय राशि जमा कर स्वयं के व्यय से आबंटित दुकान के पट्टे का निष्पादन एवं पंजीयन कराना होगा।

12. निविदादाता को नगर निगम कार्यालय में दुकान के पट्टा पंजीयन की फोटोप्रति प्रस्तुत किये जाने के बाद ही दुकान का आधिपत्य दिया जावेगा।

13. आबंटित दुकान की छत पर पट्टेधारी का कोई अधिकार नहीं होगा।

14. आबंटित दुकान में किसी प्रकार के विभाजन कर अन्य को विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी।

15. दुकान के आबंटन स्वीकृति की सूचना निविदाकर्ता को उनके लिखित पते पर डाक से भेजी जाएगी। यदि आबंटिती को समय पर डाक से सूचना प्राप्त नही होती है अथवा पत्र वापस आ जाता है तो नगर निगम को धरोहर राशि जब्त करने और आबंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

16. उच्चतम बोली बोलने/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर कि उसकी बोली/प्रस्थापना शर्त (9) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर ली गयी है, बोली/प्रस्थापना की शतप्रतिशत राशि 30 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, परन्तु इस राशि में प्रतिभूति निक्षेप की राशि समायोजित की जायेगी। यदि विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी राशि जमा नहीं की जाती है तब प्रतिभूमि निक्षेप की राशि अभिग्रहिता कर ली जायेगी।

17. उपरोक्त कंडिका क्रमांक (14) एवं (15) में उल्लेखित मांग पत्र के अनुसार निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करने पर आबंटन निरस्त कर धरोहर राशि नगर निगम के पक्ष में राजसात कर ली जाएगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी, न ही कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जाएगा और न ही निविदादाता द्वारा किसी भी न्यायालय में इस संबंध में कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

18. आबंटन प्रस्ताव जारी होने के बाद यदि निविदादाता दुकान नहीं लेना चाहेगा तो धरोहर राशि राजसात हो जाएगी।

19. निविदादाता को निर्धारित अवधि में राशि जमा करने के पश्चात एक माह के भीतर उचित मूल्य के स्टांप पर स्वयं के व्यय पर पट्टा निष्पादन करना होगा।

20. कंडिका (18) का पालन नहीं करने पर दुकान की सुरक्षा की जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं होगी।

21. निविदादाता/आबंटिती को दुकान में मादक पदार्थो, ज्वलनशील/विस्फोटक सामाग्रियों को रखने अथवा उसका व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होगा। इसी तरह शासन द्वारा प्रतिबंधि अन्य व्यवसाय भी नहीं किया जा सकेगा।

22. आबंटिती को दुकान में स्वयं के व्यय से छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से बिजली का कनेक्शन/मीटर लेना होगा तथा विद्युत देयकों का भुगतान स्वयं करना होगा।

23. आबंटिती को भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, स्थानीय संस्थाओं एवं अन्य शासकीय विभागों द्वारा समय–समय पर अधिरोपित करों का भुगतान स्वयं करना होगा।

24. आबंटिती को दुकान का मासिक किराया 5/–रू. प्रतिवर्गफूट देय होगा। निर्धारित समय में किराया राशि जमा न करने पर 15 (पन्द्रह) प्रतिशत वार्षिक अथवा तत्समय प्रचलित नियमानुसार सरचार्ज देय होगा। किराया कब्जा देने की तिथि में प्रभावशील होगा।

25. आबंटिती द्वारा दुकान अन्य किसी को हस्तांतरित करने के पूर्व नगर निगम से अनुमति प्राप्त करना होगा एवं तत्समय निर्धारित हस्तांतरण शुल्क की राशि जमा करना होगा/वर्तमान मासिक किराया में 25% वृद्धि कर बढ़े किराया राशि का 12 माह का नजराना जमा करने पर हस्तांतरण किया जा सकेगा।

26. आबंटिती को दुकान का रखरखाव एवं रंगाई–पुताई स्वतः कराना होगा।

27. आबंटिती को दुकान में कम्पन्न करने वाली मशीन लगाने, संचालन करने तथा ज्वलनशील एवं विस्फोटक एकत्रित करने की अनुमति नहीं होगी।

28. आबंटिती द्वारा निष्पादित पट्टे एवं निविदा की नियम एवं शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह दुकान का आबंटन निरस्त कर दे तथा जमा समस्त राशि नगर निगम में राजसात कर ले। आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर को यह अधिकार होगा कि वह प्रकरण के गुणदोषों के आधार पर पुर्नविचार कर पट्टे एवं निविदा के नियम एवं शर्तो के उल्लंघन पर स्वीकृत निविदा राशि का 25 (पच्चीस) प्रतिशत अर्थदण्ड अधिरोपित कर उपशमन कर सकेंगे।

29. आबंटिती को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 भूमि विकास नियम व उसके अधीन शासन द्वारा समय–समय पर बनाये गए नियम, उपनियम, आदेश–निर्देश, संकल्प आदि का पालन करना अनिवार्य होगा।

30. भागीदार फर्मो के संबंध में 50 (पचास) प्रतिशत या उससे ज्यादा भागीदारों का समावेश करने अथवा हटाने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर की अनुमति से तत्समय निर्धारित नामांतरण शुल्क नगर निगम कोष में जमा किये जाने पर अनुमति दी जा सकेगी।

31. निविदा एवं पट्टे के नियम एवं शर्तो से उद्धृत किन्हीं विवादों के संबंध में अथवा उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के समक्ष पंच निर्णय (आर्बिट्रेशन) हेतु सौंपा जायेगा। ऐसे विवाद का निपटारा आयुक्त अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जिसका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा।

32. आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा निविदा शर्तो को संशोधन या शिथिल किया जा सकेगा।

33. वर्णित व्यवसायिक परिसर में आबंटितियों को परिसर के रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत कार्य के लिये एक समिति गठित कर स्वयं के व्यय में रखरखाव एवं मरम्मत कार्य करना होगा।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर